तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21 सित. 2020	पत्रावली वास्ते बहस रेस्पो. पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-रेस्पो. की बहस हेतु मिसल आइन्दा दिनांक 22 सितम्बर 2020 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	1
22 सित. 2020	पत्रावली वास्ते बहस रेस्पो. पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स की बहस 21 सितम्बर 2020 को सुनी जा चुकी है, अधिवक्ता-रेस्पो. की बहस सुनी गयी। पूर्व में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स की ओर से प्रार्थनापत्र वास्ते "राजीनामा से रास्ता देने" में की गयी पेशकश से असहमत होते हुए अधिवक्ता रेस्पो. ने आज प्रपत्र तीन के संलग्न नकल मौका रिपोर्ट दिनांक 18 सितम्बर 2020, नकल नक्शा ट्रेस, एवं नकल जमाबंदी और 3 फोटोग्राफ्स पेश किये और कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 अगस्त 2020 की पालना में मौके पर रास्ता खुलवाया जा चुका है तथा अपीलाण्ट-पक्ष की ओर से अपीलाण्ट्स प्रेमाराम व पदमाराम तथा उनके पुत्रों ने अपनी लिखित सहमति एवं आश्वासन भी दिया है। अतः आलौच्य अपील औचित्यविहीन हो जाने के कारण तदनुसार खारिज की जावे। प्रत्युत्तर में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स की ओर से किसी ठोस आधार पर अधिवक्ता-रेस्पो. के उपरोक्त कथन का खण्डन नहीं किया गया। बहस पर मनन करने एवं प्रपत्र तीन के संलग्न प्रस्तुत एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में आलौच्य अपील इनफक्चुअस (infructuous) होना पाया जाता है, जो तदनुसार इन्फक्चुअस हो जाने के कारण खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर	